

अनुमति की शर्तें।

- (i) उक्त भवन/सूचना के निर्माण की स्वीकृति नदी करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजस्व संबंध) होने की स्थिति में निर्माण का कोई भी कार्य न ही निर्माण किसी क्षतिपूर्ति के लिए ...
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदन ...
- (iv) स्वीकृत नदरों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निर्माण को उतारवाही है।

फकत शिफ्टी केवल आवासीय उपयोगार्थ
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

जी + ए
आवासीय

आवेदन क्रमांक 101 दिनांक 21/07/2019
 प्रार्थी जगदीश सिंह पत्नी श्रीमती श्रीमती
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2004
 धारा 104 (7) (ग) के तहत आवासीय
 भवन निर्माण हेतु मांगदिय कार्यालय से वेतन
 का प्रतिनिधित्व प्राप्त करते ₹ 46,377/-
 जसिने नोट नम्बर 1088/985/88
 दिनांक 21/05/2017 को जमा कराये हैं।

P.NO: 389 अलत नम्बर 183
 मोहन नगर सेक्टर बी, बी

(Signature)
 प्रमुखकार
 नगर निगम, जोधपुर

2107401 सिंह
9414205074